

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/पार्ट-2/से0नि0/2017/310

दिनांक:- 5-3-2018

आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं नर्स गेड-2 द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क.स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित अधिकारी	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	सुप्यार देवी शेखावत, एलएचवी	दौसा	15.06.58	30.06.18
2	सन्तोष देवी, एलएचवी	झुंझुनू	04.05.58	31.05.18
3	कुसुम सोलंकी, एलएचवी	भीलवाडा	16.10.58	31.10.18
4	देवकी अम्मा एस., एलएचवी	भरतपुर	22.09.58	30.09.18
5	गीता रानी राय, एलएचवी	सीकर	01.06.58	31.05.18
6	शान्ती देवी चौबीसा, एलएचवी	डूंगरपुर	01.07.58	30.06.18
7	करुणा चक्रवर्ति, एलएचवी	डूंगरपुर	16.07.58	31.07.18
8	वलसा सी.एम., एलएचवी	जयपुर-प्रथम	25.08.58	31.08.18
9	मीरा कुमारी डामो एलएचवी	डूंगरपुर	21.09.58	30.09.18
10	अमृता कुमारी एलएचवी	डूंगरपुर	20.10.58	31.10.18
11	हुकम कवर {Hukam Kan एचवी	झुंझुनू	04.10.58	31.10.18
12	शान्ता वी.एस {SHANTA V एलएचवी	धौलपुर	21.10.58	31.10.18
13	लीलामा मथ {Lee mam एलएचवी	डूंगरपुर	10.11.58	30.11.18
14	एल्ली टी.ए. {ALLY TN.},	जयपुर-प्रथम	23.12.58	31.12.18

यह प्रमाणित किया जा


- 1 राजस्थान सिवि
- 2 राजस्थान सिवि
- 3 न्यायिक

ह निम्न कार्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई न/लम्बित नहीं है।

(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया न/लम्बित नहीं है।

विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/पार्ट-2/से0नि0/2017/310

दिनांक:- 5-3-2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।